

**न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी (राजस्व) नोहर**

पीठारीन अधिकारी का नाम : श्वेता कोचर (आर०ए०एस०)

वाद सं० : 446 सन 2022

अनिवारि :-

1. आत्माराम पुत्र प्रतापरिह जाति जाट निवासी जनानिया तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।

वादी

बनाम

1. राजेन्द्र पुत्र प्रतापरिह जाति जाट निवासी जनानिया तहसील नोहर।
2. भगतशम पुत्र प्रतापरिह जाति जाट निवासी जनानिया तहसील नोहर।
3. परमेश्वरी पत्नी भगतशम जाति जाट निवासी जनानिया तहसील नोहर।
4. गैनाचती पत्नी राजेन्द्र प्रसाद जाति जाट निवासी जनानिया तहसील नोहर।
5. सुनीता पत्नी आत्माराम जाति जाट निवासी जनानिया तहसील नोहर।
6. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर जिला हनुमानगढ।

प्रतिवादीगण

राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 88

उपस्थित : श्री रविन्द्र कुमार गोदारा अधिवक्ता वादी

पेरोकार राज

निर्णय दिनांक :- 01/07/2022

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि वादी ने जरिये अधिवक्ता यह वाद अन्तर्गत राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 88 के तहत इस आशय का पेश किया गया की रोही मौजा चक 6 जेएसएन के खाता संख्या 74/74 की कुल 5.6670 हैक, खाता संख्या 75/75 की कुल 3.7950 हैक, खाता संख्या 76/76 की कुल 3.7950 हैक व खाता संख्या 77/77 की कुल 0.5060 हैक व खाता संख्या 64/64 की कुल 4.8070 हैक व खाता संख्या 6/6 की कुल 1.8975 हैक व रोही मौजा चक 4 बरानी के खाता संख्या 63/63 की कुल 6.7160 हैक व खाता संख्या 96/96 की कुल 4.5540 हैक भूमि में से वादी का 2528/22765 हिस्सा व प्रतिवादी संख्या 1, 2 प्रत्येक 5057/45530 हिस्सा मुश्तरका खाते में दर्ज है।

वादी एव प्रतिवादी संख्या 1 ता 5 एक ही परिवार के सदस्य है एव वर्तमान राजस्व रिकार्ड में मुश्तरका खाते में दर्ज है वादी एव प्रतिवादी संख्या 1 ता 5 ने परिवारिक समझौता किया जाकर सभी खातों की भूमियों को मिला कर काश्त / सिचाई / आवागमन की सुविधा को ध्यान में रखते हुए वाद भूमियों का बाहमी बटवारा कर लिया है जो वाद की मद संख्या 4 में दर्ज है इसी अनुसार भूमि काश्त करते आ रहे है किन्तु राजस्व रिकार्ड में भूमि बाहमी बटवारा के अनुसार दर्ज नहीं है जिसे बाहमी बटवारा के अनुसार दर्ज करवा पाने के अधिकारी है।

वादी ने प्रतिवादी संख्या 1 ता 5 को कई मर्तबा कहा की वादी एव प्रतिवादी संख्या 1 ता 5 के मध्य परिवारिक समझौता के अनुसार हुए बाहमी बटवारा के अनुसार भूमि राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा देवे तो आज कल आज कल करते रहे किन्तु अन्त में इन्कार हो गये इसलिये यह वाद पेश किया गया है।

अतः वादी का वाद डिक्री किया जाकर घोषणा की जावे की वादी एव प्रतिवादी संख्या 1 ता 5 जो एक ही परिवार के सदस्य है के परिवारिक समझौता के अनुसार हुए बाहमी बटवारा के अनुसार भूमि राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने के अधिकारी है। वादी का वाद डिक्री फरमाया जावे।

वादी का वाद प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया प्रतिवादी संख्या 1 ता 5 जरिये अधिवक्ता न्यायालय में उपस्थित आकर वादी के वाद को स्वीकार करते हुए ईकबाल दावा पेश किया जाकर प्रतिवादी संख्या 1 ता 5 ने निवेदन किया की वाद भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड में मुश्तरका खाते में दर्ज है वादी एव प्रतिवादी संख्या 1 ता 5 एक ही परिवार के सदस्य है जिन्होंने परिवारिक समझौता के अनुसार बाहमी बटवारा किया गया था जो वाद की मद संख्या 4 में दर्ज है इसी अनुसार भूमि काश्त करते आ रहे है वादी एव प्रतिवादी संख्या 1 ता 5 के बाहमी बटवारा के अनुसार भूमि राजस्व रिकार्ड में दर्ज की जाती है तो किसी प्रकार का ऐतराज नहीं है व अपने कथनों के समर्थन में ईकबाला दावा पेश किया

उपखण्ड अधिकारी  
नोहर

गया। शामिल मिसल किया एवं प्रतिवादी संख्या 6 परोकार राज ने जबाब पेश किया की वादी के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबुतों के आधार पर राज्य हकों को सुरक्षित रखते हुए निस्तारण किया जाता है तो कोई ऐतराज नहीं है जबाब शामिल मिसल किया गया।

प्रकरण में प्रतिवादीगण का ईकबाल प्रस्तुत होने के कारण तनकी की आवश्यकता नहीं रही साक्ष्य में वादी ने अपना शपथ पत्र पेश किया जिस पर प्रतिवादीगण के द्वारा जिरह नहीं करने के कारण जिरह शुन्य रही तत्पश्चात उभयपक्षों की बहस सुनी गई।

वकील वादी के अधिवक्ता ने अपनी बहस में अपने वाद में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया की वाद भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड में वादी एव प्रतिवादी संख्या 1 ता 5 के नाम मुश्तरका खाते में दर्ज है।

वादी एव प्रतिवादी संख्या 1 ता 5 एक ही परिवार के सदस्य है एव वर्तमान राजस्व रिकार्ड में मुश्तरका खाते में दर्ज है वादी एव प्रतिवादी संख्या 1 ता 5 ने परिवारिक समझौता किया जाकर सभी खातों की भूमियों को मिला कर काश्त /सिचाई /आवागमन की सुविधा को ध्यान में रखते हुए वाद भूमियों का बाहमी बटवारा कर लिया है जो वाद की मद संख्या 4 में दर्ज है इसी अनुसार भूमि काश्त करते आ रहे है किन्तु राजस्व रिकार्ड में भूमि बाहमी बटवारा के अनुसार दर्ज नहीं है जिसे बाहमी बटवारा के अनुसार दर्ज करवा पाने के अधिकारी है जिसे प्रतिवादी संख्या 1 ता5 ने स्वीकार किया जा चुका है।

वादी के वाद को प्रतिवादी संख्या 1 ता 5 ने स्वीकार किया जाकर ईकबाल पेश किया जा चुका है अर्थात वादी के वाद के सम्बन्ध में कोई ऐतराज नहीं है वादी अपने कथनों के सम्बन्ध में न्यायाधिक दृष्टान्त आर.बी.जे. 1998 पेज 615 एवं आरआरडी वर्ष 1998 पेज 646 प्रस्तुत कर निवेदन किया की कोई भी खातेदार काश्तकार आपसी सहमति /राजीनामा के आधार पर अपने हकों को स्थानान्तरण कर सकता है अतः वादी का वाद डिक्री फरमाया जावे।

परोकार राज ने निवेदन किया की वादी ने दादालाई/पैतुक सम्पत्ति का वाद पेश किया है वादी के साक्ष्य सबुतों के आधार पर राज्यहकों को सुरक्षित रखते हुए वाद का निस्तारण फरमावे।

हमने उभयपक्षों की बहस सुनी पत्रावली का अवलोकन किया प्रस्तुत रिकार्ड के अनुसार रोही मौजा चक 6 जेएसएन के खाता संख्या 74/74 की कुल 5.6670हैक , खाता संख्या 75/75 की कुल 3.7950हैक , खाता संख्या 76/76 की कुल 3.7950हैक व खाता संख्या 77/77 की कुल 0.5060हैक व खाता संख्या 64/64 की कुल 4.8070हैक व खाता संख्या 6/6 की कुल 1.8975हैक व रोही मौजा चक 4 बरानी के खाता संख्या 63/63 की कुल 6.7160हैक व खाता संख्या 96/96 की कुल 4.5540हैक भूमि में से वादी का 2528/22765 हिस्सा व प्रतिवादी संख्या 1 ,2 प्रत्येक 5057/45530हिस्सा मुश्तरका खाते में दर्ज है।

वादी का कथन है कि वाद भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड में वादी एव प्रतिवादी संख्या 1 ता 5 के नाम मुश्तरका खाते में दर्ज है वादी एव प्रतिवादी संख्या 1 ता 5 ने वाद भूमि का बाहमी बटवारा किया गया था जो वाद की मद संख्या 4 में दर्ज है उसी के अनुसार भूमि राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवाना चाहते है वादी के कथनों को प्रतिवादी संख्या 1 ता 5 ने स्वीकार किया जाकर ईकबाल पेश किया जाकर निवेदन किया की वादी एव प्रतिवादी संख्या 1 ता 5 के बाहमी बटवारा जो वाद की मद संख्या 4 में दर्ज है के अनुसार भूमि राजस्व रिकार्ड में दर्ज की जाती है तो किसी प्रकार का ऐतराज नहीं है।


वादी के वाद को प्रतिवादीगण के द्वारा स्वीकार करने एवं वादी के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबुत एवं न्यायाधिक दृष्टान्तों जो प्रकरण पर चस्पा होते है के आधार पर वाद वादी साबित होने के कारण काबिल डिक्री है

अतः वादी के वाद को प्रतिवादी संख्या 1 ता 5 के द्वारा स्वीकार करने एवं परोकार राज का किसी प्रकार का ऐतराज नहीं होने एवं वादी के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबुतों एवं न्यायाधिक दृष्टान्तों के आधार पर वाद वादी साबित होने के कारण डिक्री किया जाकर धोषणा की जाती है कि रोही मौजा 6 जेएसएन के प0 नं0 368/377 (11) के किला नं0 7, 8, 13, 14, 17, 24 प्रत्येक की 0.2530 है0 व प0 नं0 368/378 (26) के किला नं. 4/1 की 0.038 है0 गै0 मु0 रास्ता, 4/2 की 0.215 है0, 7, 14, 15 प्रत्येक की 0.2530 है0 प0 नं0 371/381 (71) के किला नं. 1/1 की 0.038 है0 गै0 मु0 रास्ता, 1/2 की 0.215 है0, 2/1 की 0.038 है0 गै0 मु0 रास्ता, 2/2 की 0.215 है0, 8 ता 13 प्रत्येक की 0.2530 है0, 18 ता 23 प्रत्येक की 0.2530 है0 प0 नं0 371/382 (84) किला नं. 1, 2, 3 प्रत्येक की 0.253 है0 प0 नं0 370/382 (85) के किला नं. 4 की 0.253 है0, 5/1 की 0.025 है0 गै0 मु0 खाला, 5/2 की 0.228 है0 भूमि व 4 बरानी तहसील

अखण्ड अधिकारी  
नोहर

नोहर के प० नं० 375/383 (1) के किला नं. 4/1 की 0.038 है० गै० मु० रास्ता, 4/2 की 0.215 है०, 5 की 0.1075 है०, 6/2 की 0.1265 है०, 7 की 0.253 है०, 14 की 0.253 है०, 16/2 की 0.1265 है०, 15/1 की 0.1265 है०, 17 की 0.253 है० भूमि प्रतिवादी संख्या 1 के नाम दर्ज की जावे व 6 जेएसएन तहसील नोहर के प० नं० 369/380 (56) के किला नं. 11, 20, 21 प्रत्येक की 0.253 है० प० नं० 368/380 (57) के किला नं. 4/1 की 0.025 है० खाला, 4/2 की 0.228 है०, 7, 14, 17, 24 प्रत्येक की 0.253 है० भूमि में से 1/4 हिस्सा भूमि प्रतिवादी संख्या 1 के नाम दर्ज की जावे व 3/4 हिस्सा भूमि प्रतिवादी संख्या 4 के नाम दर्ज की जावे तथा रोही मौजा 6 जेएसएन तहसील नोहर के प० नं० 366/378 (28) के किला नं. 11/1 की 0.1265 है०, 11/2 की 0.1265 है०, 12 की 0.253 है०, 13/1 की 0.1265 है०, 20, 21 प्रत्येक की 0.253 है० व प० नं० 365/378 (29) के किला नं० 15 ता 19 व 22 ता 25 प्रत्येक की 0.253 है० प० नं० 365/379 (36) किला नं. 2/1 की 0.025 है० गै० मु० रास्ता, 2/2 की 0.228 है० व रोही मौजा 4 बारानी तहसील नोहर के प० नं० 378/384 (5) के किला नं. 11, 12 प्रत्येक की 0.253 है०, 13 की 0.202 है०, 18 की 0.228 है०, 19 ता 23 प्रत्येक की 0.253 है० प० नं० 378/385 (28) के किला नं. 1, 2, 3 प्रत्येक की 0.253 है०, 4 की 0.025 है० 8 की 0.189 है० 9, 10 प्रत्येक की 0.253 है० भूमि वादी के नाम दर्ज की जावे व रोही मौजा 6 जेएसएन तहसील नोहर के प० नं० 368/380 (57) के किला नं० 3/1 की 0.025 है० गै० मु० खाला, 3/2 की 0.228 है०, 8, 9, 12, 13, 18, 19, 23 प्रत्येक की 0.253 है० भूमि में से 1/4 हिस्सा भूमि वादी के नाम दर्ज की जावे व शेष 3/4 हिस्सा भूमि पर प्रतिवादी संख्या 5 के नाम दर्ज की जावे तथा रोही मौजा 6 जेएसएन तहसील नोहर के प० नं० 370/379 (41) के किला नं. 13, 14 प्रत्येक की 0.253 है०, 15/1 की 0.025 है० गै० मु० खाला, 15/2 की 0.228 है०, 16/1 की 0.025 है० गै० मु० खाला, 16/2 की 0.228 है०, 17 व 18 प्रत्येक की 0.253 है० प० नं० 371/379 (42) के किला नं. 11 ता 13, 18 ता 23 प्रत्येक की 0.253 है० व 4 बारानी तहसील नोहर के प० नं० 375/383 (1) के किला नं. 5 की 0.1075 है०, 6/1 की 0.1265 है०, 15/2 की 0.1265 है०, 16/1 की 0.1265 है० प० नं० 376/383 (2) के किला नं. 1/2 की 0.215 है०, 1/1 की 0.038 है० गै० मु० रास्ता, 10, 11, 20 प्रत्येक की 0.253 है० भूमि प्रतिवादी संख्या 2 के नाम दर्ज की जावे व रोही मौजा 6 जेएसएन के प० नं० 368/380 (57) के किला नं. 5/1 की 0.051 है० गै० मु० खाला, 5/2 की 0.202 है०, 6/1 की 0.025 है० गै० मु० खाला, 6/2 की 0.228 है०, 15/1 की 0.025 है० गै० मु० खाला, 15/2 की 0.228 है०, 16/1 की 0.025 है० गै० मु० खाला, 16/2 की 0.228 है०, 25/1 की 0.025 है० गै० मु० खाला, 25/2 की 0.228 है० प० नं० 368/381 (68) किला नं. 5/1 की 0.063 है० गै० मु० खाला, 5/2 की 0.190 है०, प० नं० 369/381 (69) किला नं. 1/1 की 0.101 है० भूमि प्रतिवादी संख्या 3 के नाम मुताबिक नजरी नक्शा तरमीम किया जाकर राजस्व रिकार्ड में दर्ज किया जावे व 4 बारानी के खाता संख्या 96/96 के खसरे 25 का कुल क्षेत्रफल 4.5540 है० भूमि में प्रतिवादी संख्या 1 व 2 का नाम कलमजन की जाकर वादी को खातेदार काश्तकार धोषित किया जाता है इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन करने हेतु ईजराय प्रार्थना पत्र के सलग्न 1000/- रु का स्टाम्प तकमीलन शामिल किया जावे। यदि भूमि बैंक के रहन हो तो बाद रहनमुक्त राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जावे व्यय वाद उभयपक्ष अपना अपना वहन करेंगे। इसी आशय की पर्चा डिक्री जारी की जाकर शामिल मिसल की गई पत्रावली नम्बर से कम की जाकर बाद तरतीब तकमील जाब्दा दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 01/07/2022 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर बसरे ईजलास में सुनाया गया।

  
 उपखण्ड अधिकारी ( राजस्व )  
 नोहर ( हनुमानगढ़ )  
 उपखण्ड अधिकारी  
 नोहर

## पचाई दिवसी

( आदेश नं. 80, कल 6-7 जाम्ना दिवानी )

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी नोहर

अनवार :-

1. आत्माराम पुत्र प्रतापरिषद जाति जाट निवासी जमानिया तहसील नोहर जिला हनुमानगढ़।

वादी

बनाम

1. राजेन्द्र पुत्र प्रतापरिषद जाति जाट निवासी जमानिया तहसील नोहर।
2. भगतसम पुत्र प्रतापरिषद जाति जाट निवासी जमानिया तहसील नोहर।
3. परमेश्वरी पत्नी भगतसम जाति जाट निवासी जमानिया तहसील नोहर।
4. मैनावती पत्नी राजेन्द्र प्रसाद जाति जाट निवासी जमानिया तहसील नोहर।
5. सुनीता पत्नी आत्माराम जाति जाट निवासी जमानिया तहसील नोहर।
6. राजस्थान सरकार जारिये तहसीलवार राजस्व नोहर जिला हनुमानगढ़।

प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 88, राजस्थान कायदाकारी अधिनियम 1955

राजस्व वाद संख्या 445 सन 2022 निर्णय दिनांक-01/07/2022


आज यह वाद मुझ श्वेता कोचर उपखण्ड अधिकारी ( राजस्व ) नोहर के समक्ष

अधिवक्ता वादी एवं पेशेकार राज की उपस्थिति में अंतिम निपटारे/ निर्णय हेतु प्रस्तुत होने पर वाद वादी साक्ष्य सबूतों एवं प्रतिवादीगण की सहमति के आधार पर साबित होने के कारण वाद वादी डिक्री किया जाकर धोषणा की जाती है कि रोही मौजा 6 जेएसएन के प्लॉट नं 368/377 (11) के किला नं 7, 8, 13, 14, 17, 24 प्रत्येक की 0.2530 है 0 व प्लॉट नं 368/378 (26) के किला नं. 4/1 की 0.038 है 0 गै 0 रास्ता, 4/2 की 0.215 है 0, 7, 14, 15 प्रत्येक की 0.2530 है 0 प्लॉट नं 371/381 (71) के किला नं. 1/1 की 0.038 है 0 गै 0 रास्ता, 1/2 की 0.215 है 0, 2/1 की 0.038 है 0 गै 0 रास्ता, 2/2 की 0.215 है 0, 8 ता 13 प्रत्येक की 0.2530 है 0, 18 ता 23 प्रत्येक की 0.2530 है 0 प्लॉट नं 371/382 (84) किला नं. 1, 2, 3 प्रत्येक की 0.253 है 0 प्लॉट नं 370/382 (85) के किला नं. 4 की 0.253 है 0, 5/1 की 0.025 है 0 गै 0 रास्ता, 5/2 की 0.228 है 0 भूमि व 4 बाराणी तहसील नोहर के प्लॉट नं 375/383 (1) के किला नं. 4/1 की 0.038 है 0 गै 0 रास्ता, 4/2 की 0.215 है 0, 5 की 0.1075 है 0, 8/2 की 0.1265 है 0, 7 की 0.253 है 0, 14 की 0.253 है 0, 16/2 की 0.1265 है 0, 16/1 की 0.1265 है 0, 17 की 0.253 है 0 भूमि प्रतिवादी संख्या 1 के नाम दर्ज की जावे व 8 जेएसएन तहसील नोहर के प्लॉट नं 369/380 (56) के किला नं. 11, 20, 21 प्रत्येक की 0.253 है 0 प्लॉट नं 368/380 (57) के किला नं. 4/1 की 0.025 है 0 खाला, 4/2 की 0.228 है 0, 7, 14, 17, 24 प्रत्येक की 0.253 है 0 भूमि में से 1/4 हिस्सा भूमि प्रतिवादी संख्या 1 के नाम दर्ज की जावे व 3/4 हिस्सा भूमि प्रतिवादी संख्या 4 के नाम दर्ज की जावे तथा रोही मौजा 6 जेएसएन तहसील नोहर के प्लॉट नं 366/378 (28) के किला नं. 11/1 की 0.1265 है 0, 11/2 की 0.1265 है 0, 12 की 0.253 है 0, 13/1 की 0.1265 है 0, 20, 21 प्रत्येक की 0.253 है 0 व प्लॉट नं 365/378 (29) के किला नं 15 ता 19 व 22 ता 25 प्रत्येक की 0.253 है 0 प्लॉट नं 365/379 (38) किला नं. 2/1 की 0.025 है 0 गै 0 रास्ता, 2/2 की 0.228 है 0 व रोही मौजा 4 बाराणी तहसील नोहर के प्लॉट नं 378/384 (5) के किला नं. 11, 12 प्रत्येक की 0.253 है 0, 13 की 0.202 है 0, 18 की 0.228 है 0, 19 ता 23 प्रत्येक की 0.253 है 0 प्लॉट नं 378/385 (29) के किला नं. 1, 2, 3 प्रत्येक की 0.253 है 0, 4 की 0.025 है 0 8 की 0.189 है 0 9, 10 प्रत्येक की 0.253 है 0 भूमि वादी के नाम दर्ज की जावे व रोही मौजा 6

उपखण्ड अधिकारी  
नोहर

जेएसएन तहसील नोहर के प० नं० 368/380 (57) के किला नं० 3/1 की 0.025 है० गै० मु० खाला, 3/2 की 0.228 है०, 8, 9, 12, 13, 18, 19, 23 प्रत्येक की 0.253 है० भूमि में से 1/4 हिस्सा भूमि वादी के नाम दर्ज की जावे व शेष 3/4 हिस्सा भूमि पर प्रतिवादीया संख्या 6 के नाम दर्ज की जावे तथा रोही मौजा 6 जेएसएन तहसील नोहर के प० नं० 370/379 (41) के किला नं० 13, 14 प्रत्येक की 0.253 है०, 15/1 की 0.025 है० गै० मु० खाला, 15/2 की 0.228 है०, 16/1 की 0.025 है० गै० मु० खाला, 16/2 की 0.228 है०, 17 व 18 प्रत्येक की 0.253 है० प० नं० 371/379 (42) के किला नं० 11 ता 13, 18 ता 23 प्रत्येक की 0.253 है० व 4 बाराणी तहसील नोहर के प० नं० 375/383 (1) के किला नं० 5 की 0.1075 है०, 6/1 की 0.1265 है०, 15/2 की 0.1265 है०, 16/1 की 0.1265 है० प० नं० 376/383 (2) के किला नं० 1/2 की 0.215 है०, 1/1 की 0.038 है० गै० मु० रास्ता, 10, 11, 20 प्रत्येक की 0.253 है० भूमि प्रतिवादी संख्या 2 के नाम दर्ज की जावे व रोही मौजा 6 जेएसएन के प० नं० 368/380 (57) के किला नं० 5/1 की 0.051 है० गै० मु० खाला, 5/2 की 0.202 है०, 6/1 की 0.025 है० गै० मु० खाला, 6/2 की 0.228 है०, 15/1 की 0.025 है० गै० मु० खाला, 15/2 की 0.228 है०, 16/1 की 0.025 है० गै० मु० खाला, 16/2 की 0.228 है०, 25/1 की 0.025 है० गै० मु० खाला, 25/2 की 0.228 है० प० नं० 368/381 (68) किला नं० 5/1 की 0.063 है० गै० मु० खाला, 5/2 की 0.190 है०, प० नं० 369/381 (69) किला नं० 1/1 की 0.101 है० भूमि प्रतिवादी संख्या 3 के नाम मुताबिक नजरी नक्शा तरमीम किया जाकर राजस्व रिकार्ड में दर्ज किया जावे व 4 बाराणी के खाता संख्या 96/96 के खसरे 25 का कुल क्षेत्रफल 4.5540 है० भूमि में प्रतिवादी संख्या 1 व 2 का नाम कलमजन की जाकर वादी को खातेदार काश्तकार धोषित किया जाता है इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन करने हेतु ईजराय प्रार्थना पत्र के सलग्न 1000/- रु का स्टाम्प तकमीलन शामिल किया जावे। यदि भूमि बैंक के रहन हो तो बाद रहनमुक्त राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जावे व्यय वाद उभयपक्ष अपना अपना वहन करेगे।

पर्चा डिक्री आज दिनांक 01/07/2022 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालय मुद्रा से जारी की गई ।

  
उपखण्ड अधिकारी ( राजस्व )  
नोहर ( हनुमानगढ )

उपखण्ड अधिकारी  
नोहर